

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार जिला चित्तौडगढ राज0  
पीठासीन अधिकारी:- मुकेश कुमार मीणा R.A.S.

प्रकरण संख्या 44/2019 राजस्व वाद

1. प्यारी बाई पत्नि माधुलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.)

.....वादीया

बनाम

1. प्रभु पिता रूपा जाति नाई उम्र वयस्क निवासी जवासिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.)
2. प्रकाश पिता रूपा जाति नाई उम्र वयस्क निवासी जवासिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.)
3. सुगना पत्नि गंगाराम जाति नाई उम्र वयस्क निवासी जवासिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.)
4. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ

...प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक-31.12.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ऐसे हैं कि वादीया ने वादपत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम जवासिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ में वादीया के कब्जे काश्त व रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से कय शुदा कृषि आराजी नम्बर-2231 रकबा 1.14 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजीयात वादीया ने प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या-3 के ससुर रूपा पिता सुखा नाई निवासी जवासिया की खातेदारी भूमि को दिनांक-09/01/2006 को 90,000/-अक्षरे नब्बे हजार रूपये में रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से कय कर कब्जा प्राप्त किया है। वादीया अशिक्षित महिला होने से विक्रय-पत्र घर रख दिया व पटवार हल्का ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण नहीं खुलने से वादीया के नाम कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड होने से सहवन से रहे गयी राजस्व रेकार्ड में रूपा पिता सुखा के नाम दर्ज रह जाने से रूपा पिता सुखा की मृत्यु हो जाने से विरासती नामान्तरण से प्रतिवादी संख्या-1 व 2 के नाम व प्रतिवादी संख्या-3 नाम दर्ज रेकार्ड हो गई। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड होने से प्रतिवादीगण विवाद करने पर, जमाबन्दी की नकल देखने से वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होने से खातेदारी घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

*hms*  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, गंगरार



वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से सूचना पत्र जारी किये जाकर नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद बेरोज पेशी पर प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित नहीं हुवे एवं नहीं उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए जिस कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से व जवाब प्रस्तुत नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई साक्ष्य वादीया ने वादपत्र के समर्थन में अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये जिसमें विक्रय पत्र प्रदर्श-1, नक्शा टेस प्रदर्श-2 जमाबन्दी प्रदर्श -3 कराए गये।

पत्रावली में बहस सुनी गई वादीया के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुवे वादपत्र डिक्री किया जाने की इस्तदुआ की हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजो साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा रजिस्टर्ड से आराजियात क्रय करना प्रमाणित है। इस लिये वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जवासिया पटवार हल्का मण्डपिया तहसील गंगरार की आराजी नम्बर-2231 रकबा 1.14 हैक्टर भूमि वादीया की खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी सख्या 1,2,3 का नाम विलोपित कर वादीया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। डिक्री पर्चा अलग से कायम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।



*M. N. S.*  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, गंगरार  
जिला-चित्तौड़गढ़

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)  
(आदेश 21 नियम 6,7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार जिला चित्तौडगढ राज0

पीठासीन अधिकारी:- मुकेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

1. प्यारी बाई पत्नि माधुलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ	बनाम	1. प्रभु पिता रूपा जाति नाई उम्र वयस्क निवासी जवासिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.) 2. प्रकाश पिता रूपा जाति नाई उम्र वयस्क निवासी जवासिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.) 3. सुगना पत्नि गंगाराम जाति नाई उम्र वयस्क निवासी जवासिया तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.) 4. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ
---	------	--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 44/2019 रेवेन्यू वाद

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक 31.12.2018 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जवासिया पटवार हल्का मण्डपिया तहसील गंगरार की आराजी नम्बर-2231 रकबा 1.14 हैक्टर भूमि वादीया की खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी सख्या 1,2,3 का नाम विलोपित कर वादीया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तस्मीम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।



सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, गंगरार

वाद के खर्चे

वदी	राशि	प्रतिवादी	राशि
1-स्टाम्प वाद पत्र	-	1-स्टाम्प वाद पत्र	-
2-स्टाम्प वकालतनाम	-	2-स्टाम्प वकालतनाम	-
3-प्रदर्श के लिए स्टाम्प	-	3-प्रदर्श के लिए स्टाम्प	-
4-प्लीडर की फीस	-	4-प्लीडर की फीस	-
5-गवाह का निर्वाह व्यय	-	5-गवाह का निर्वाह व्यय	-
6-कमिश्नर फीस	-	6-कमिश्नर फीस	-
7-आदेशिका की तामिल	-	7-आदेशिका की तामिल	-
8-विविध	-	8-विविध	-

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, गंगरार

